

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पीसी-VI/ 182

आर.बी.ई. सं. 14/2010

सं. ई(पी एंड ए) 11-2008/एच डब्ल्यू-2

नई दिल्ली, दिनांक 18-01.2010

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि।
(डाक सूची 1 और 2 के अनुसार)।

विषय : 01.09.2008, 01.01.2009 और 01.07.2009 से प्रभावी रात्रि ड्यूटी भत्ते की दरें।

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड कार्यालय के दिनांक 16.12.2008 के समसंख्यक पत्र और दिनांक 03.06.2009 और दिनांक 22.10.2009 के पत्र संख्या ई(पी एंड ए)-11/2009/एच.डब्ल्यू.-4 का अवलोकन करें जिसमें रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम-2008 के प्रख्यापित होने और मंहगाई भत्ते की दरों में संशोधन के परिणामस्वरूप क्रमशः दिनांक 01.09.2008, 01.01.2009 और 01.07.2009 से प्रभावी रात्रि ड्यूटी भत्ता (एनडीए) की दरें जारी की गई हैं।

2. कर्मचारी फेडरेशनों ने बोर्ड को प्रत्यावेदन दिया है कि संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नतन योजना (MACP) के लागू किये जाने के पश्चात ग्रुप “ ग” के कर्मचारियों को जिन्हें 4600/-रु. से अधिक का ग्रेड पे दिया गया है, उन्हें रात्रि ड्यूटी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इसलिए, इस मामले की बोर्ड द्वारा जांच की गयी और निर्णय लिया गया कि 4600/-रुपये और अधिक ग्रेड पे लेने वाले सभी अराजपत्रित कर्मचारी, इस मंत्रालय के दिनांक 16.12.2008, 03.06.2009 और 22.10.2009 के पत्रों के पैरा-1 में की गयी व्यवस्था के अनुसार इन पत्रों के अनुलग्नक “ ए” तथा “ बी” में दर्शायी गयी दरों पर रात्रि ड्यूटी भत्ता पाने के लिए पात्र होंगे।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. इसके जारी करने से पश्चिम रेलवे के दिनांक 07.01.2010 के पत्र सं. ई(एचईआर) 487/48 वाल्यू.111 और डीजल रेल इंजन आधुनिकरण कारखाना के दिनांक 24.12.2009 के पत्र सं. डीएमडब्ल्यू/पी/पीबी/एनडीए का भी निपटान हो जाता है।

मो. सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)

उप निदेशक/ई(पी एंड ए)III,

रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एंड ए) 11-2008/एच डब्ल्यू-2

नई दिल्ली, दिनांक 18-01.2010

प्रतिलिपि: भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली - 110001 (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को प्रेषित।

पुस्तकालय
कृते वित्त आयुक्त/रेलें

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

S.No.PC-VI/182

RBE No.14/2010.

No. E(P&A)II-2008/HW-2

New Delhi, dated 18.01.2010.

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Prod. Units etc,
(As per mailing lists No.I & II).

**Sub: Rates of Night Duty Allowance w.e.f. 1.9.2008,
1.1.2009 & 1.7.2009.**

+++++

Please refer to Board's letter of even number dt. 16.12.2008 and letter No. E(P&A)-II/2009/H.W.4 dt. 03.06.2009 & dt. 22.10.09 on the above subject wherein the rates of Night Duty Allowance (NDA) w.e.f. 1.9.2008, 1.1.2009 and 1.7.2009 respectively consequent upon promulgation of Railway Services (Revised Pay) Rules 2008 & revision of rates of Dearness Allowance, have been notified.

2. The employees Federations have represented to the Board that subsequent to introduction of MACP Scheme, Group "C" staff who are working in Grade Pay above Rs. 4600/- are not getting Night Duty Allowance. The issue has, therefore, been examined by the Board and it has been decided that all non-gazetted staff with grade pay of Rs. 4600/- & above would also be eligible for Night Duty Allowance at the rate prescribed against Grade Pay 4600/- in Annexure "A" and "B" to this Ministry's letters dt. 16.12.2008, 03.06.2009 and 22.10.2009 in terms of the provisions contained in Para-1 of these letters.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. This also disposes of Western Railway's letter No. E(HER)487/48 Vol.III dt. 7.1.2010 and Diesel Loco Modernisation Works' letter No. DMW/P/PB/NDA dt. 24.12.2009.

md. salim Ahmed

(Salim Md. Ahmed)
Deputy Director/E(P&A)III,
Railway Board.

.....2/-